

10.12.25

12/4

पत्रावली पेश हुई वकील का काम सम्पन्न
पत्रावलीयां अधिक होने की वजह से प्रकरण
में सुनवाई नहीं हो सकी अतः पत्रावली
दिनांक 12.12.26 को पेश हो

19/12/25

पत्रावली पेश है वकील परकाट का
है मुस वाड बिट्टी के आद्याल पर
खारिज हो चुका है अतः एका रिपोर्ट में
क्र.प 212 R+A का चलाया जाना लायक
प्रतीत होता है अतः क्र.प 212 R+A सि.7
7/2024 खारिज किया जाता है पत्रावली
के लिये शुमार होकर नम्बर ले कर की
जामत दारिखल करल हो

निर्णय आज दिनांक 19/12/25

जो सुनाया जाय

